क्रम सं॰	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
3.	बिहार	—	2
4.	दिल्ली	—	2
5.	गुजरात	—	1
6.	हरियाणा	1	2
7.	हिमाचल प्रदेश	—	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	—	2
9.	कर्नाटक	—	3
10.	केरल	—	14
11.	मध्य प्रदेश	—	3
12.	महाराष्ट्र	—	3
13.	उत्तर पूर्व	—	—
14.	उड़ीसा	—	—
15.	पंजाब	1	3
16.	राजस्थान	—	6
17.	तमिलनाडु	—	3
18.	उत्तर प्रदेश	—	3
19.	पश्चिम बंगाल	—	—
	कुल:	4	53

निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र उनके सामने दिए गए डाक सर्किलों के अंतर्गत आते हैं:—

अंडमान एवं निकोबार	—	पश्चिम बंगाल सर्किल
चंडीगढ़	—	पंजाब सर्किल
दादर एवं नगर हवेली	—	गुजरात सर्किल
दमण एवं दीव	—	गुजरात सर्किल
लक्षद्वीप	—	केरल सर्किल
पौंडिचेरी	—	तमिलनाडु सर्किल

सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन

376. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण इन परियोजनाओं को उचित समय पर ठीक से क्रियान्वित नहीं किया जाता है;

यदि हां, तो ऐसे विवादों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब करवाने वाले, विभिन्न विभागों के बीच विवादों के बारे में केन्द्र को कोई सूचना नहीं मिली है। निजी व वन संबंधी दोनों प्रकार की भूमि का अधिग्रहण करने में आने वाली कठिनाईयों की वजह से ही मुख्यतः परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है।

सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सिंचाई परियोजना में निवेश अनुमति के लिए पर्यावरणीय और/या वन के दृष्टिकोण से स्वीकृति से अनुमति लेना पूर्व-आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करने से पहले परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय बहु-निग्रह एकक स्थापित करने की सलाह दी गई है। अन्तरराज्यीय नदी के जल के बांटने और अन्य राज्यों में आप्लावन जैसे अन्तरराज्यीय मुद्दों वाली परियोजनाओं पर अपनी निवेश अनुमति लेने से पहले राज्य सरकार को संबंधित राज्य सरकारों की सहमति लेने की भी आवश्यकता होती है।

देश में सिंचाई क्षमता

377. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल स्थापित सिंचाई क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) मार्च, 1996 तक देश में कुल कितनी सिंचाई क्षमता स्थापित की गई;

(ग) देश में उसमें से कितनी सिंचाई क्षमता का उपयोग करने की क्षमता है;

(घ) क्या यह सच है कि गत दशकों में देश में सिंचाई क्षमता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा भारी धनराशि खर्च की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1950 के बाद पैदा की गई सिंचाई क्षमता पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?